

Duplicate Copy

08-Feb-2024

आदेश

तिथि

Feb 15 2022

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पत्थरचपटी थाना मधुपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
95/B/1	0/1	0 एकड़, 5.76 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
HAJI ABDUL KHABIR	पिता	HAJI ABDUL HAMID

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अब्दुल खबीर	-----	

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

नामांतरण में पारित आदेश अपीलीय प्रकृति का होता है एवं नामांतरण कोई Title decide नहीं करता है। अतः राजस्व हित में / प्रश्नगत भूमि के नामांतरण में आपत्ति के आभाव में / राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। भविष्य में अगर उच्चतर न्यायलय से कोई आदेश पारित हो अथवा / अन्य किसी रैयत से आपत्ति प्राप्त होता है तो नामांतरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा।

अतः वार्षिक लगान **80 रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PERMESHWAR KUSHWAHA

अंचलाधिकारी मधुपुर

